



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11502

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 896 वर्ष 2026

हरदयाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमर सिंह यादव, शैलेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

"1. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) तृतीय, मंडल बरेली (प्रतिवादी संख्या 2) को आदेश दिया जाए कि वे अपील संख्या 1171/2025 कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या सी202512000001171 (नथुलाल बनाम हरदयाल और अन्य) का यथाशीघ्र, निर्धारित समयावधि के भीतर, कानून के अनुसार निर्णय लें।"

3. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपर्युक्त अपील याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) तृतीय, मंडल बरेली के समक्ष मई 2025 में दायर की गई थी। उपर्युक्त अपील पर, आदेश पत्र के अनुसार, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 15-16 पर संलग्न है, अभी तक केवल दो तिथियां निर्धारित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की गई हैं। पूरी रिट याचिका में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उपर्युक्त अपील में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को समन तामील किया गया था या नहीं।

4. उपरोक्त के मददेनजर, याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, संबंधित प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उपर्युक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार ही करे और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026 /ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"